राजस्व वाद संख्या:–59 / 2022
छोटेलाल बनाम अमीलाल आदि
निर्णय दिनांक:– ...06-09-22

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर – 59 / 2022 जीसीएमएस नं.– 2022 / 144

छोटेलाल पुत्र ईश्वर लाल उम्र 82 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.........वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र सूरजभान उम्र 57 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
2. कृष्णा पुत्री उमराव पत्नी रामानंद उम्र 52 जाति अहीर निवासी निहालोठ हाल सांतोर
3. कौशल्या पुत्री काशीराम पत्नी शेरसिंह उम्र 47 साल जाति अहीर निवासी नावदी पो. अटेली
4. ग्यारसी देवी पत्नी काशीराम उम्र 85 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
5. राजेश पुत्र बुधराम उम्र 46 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
6. योगेश पुत्र बुधराम उम्र 40 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
7. जगदीश पुत्र बुधराम उम्र 54 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
8. बसंती पुत्री सूरजभान पत्नी रामकुमार उम्र 53 साल जाति अहीर निवासी सिलारपुर, अटेली
9. मुकेश पुत्री उमराव पत्नी धर्मपाल उम्र 48 साल जाति अहीर निवासी सांतोर
10. रेशमी पुत्री उमराव पत्नी उम्र 48 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
11. रामरती पुत्री शीराम पत्नी रामकुमार उम्र 53 साल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
12. रामावतार पुत्र काशीराम उम्र 59 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
13. लाली पुत्री उमराव पत्नी रावण उम्र 52 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
14. लीलाराम पुत्र काशीराम उम्र 51 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
15. विद्या पुत्री सूरजभान पत्नी हेमराज उम्र 50 साल जाति अहीर निवासी ढाणी खैराना
16. संतोष पुत्री उमराव पत्नी चंद्रभान उम्र 49 साल जाति अहीर निवासी सांतोर
17. सुबेसिंह पुत्र सूरजभान उम्र 50 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
18. सहीराम पुत्र उमराव उम्र 52 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
19. सावित्री पुत्री उमराव पत्नी भीमसिंह उम्र 53 साल जाति अहीर निवासी ढाणी ढाणी खैराना
20. हरलाल पुत्र उमराव उम्र 55 साल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा
21. मेवा पुत्री उमराव पत्नी राजयादव उम्र 50 साल जाति अहीर निवासी ढाणी सिसोठ
22. विद्यानंद पुत्र भूराराम उम्र 58 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
23. सहीराम पुत्र भूराराम उम्र 55 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
24. धर्मबीर पुत्र भूराराम उम्र 50 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
25. संतोष देवी पत्नी अमरसिंह उम्र 53 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
26. अवधेश पुत्र अमरसिंह उम्र 47 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

27. रविराय पुत्र अमरसिंह उम्र 42 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
28. लाली पुत्री भूराराम उम्र 56 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
29. सारली पुत्री भूराराम उम्र 52 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
30. सरबती पुत्री भूराराम उम्र 49 साल जाति अहीर निवासी निहालोठ
31. उप पंजीयक, बुहाना जिला झुन्झुनूं
32. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– **दिनांक** 06-09-22

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम निहालोठ स्थित खातेदारी क़ाश्त की भूमि गत् जमाबंदी संवत् 2019 से 2023 के खसरा नंबर 219 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि की खातेदारी गणेशा पिता जीसुख हिस्सा 1/4 भाग, रूघा पिता गिरधारी 1/4 भाग, घिसा पिता बक्सा हिस्सा 1/4 भाग व मंगूत पिता पिराना हिस्सा 1/4 भाग सा.देह जाति अहीर दर्ज रिकार्ड थे। इसके अलावा गत् खसरा नंबर 220 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि में घीसा पुत्र बक्सा का हिस्सा 1/4 भाग, झुथर पिता देवा हिस्सा 1/8 भाग, छबीला पिता नानग हिस्सा 1/8 भाग, हरनारायण पिता पिराना हिस्सा 1/8 भाग, गोरधन पिता खुबा हिस्सा 1/8 भाग, रूघा पिता गिरधारी हिस्सा 1/8 भाग, मंगतू पिता पिराना हिस्सा 1/8 भाग सा.देह जाति अहीर दर्ज रिकार्ड थे। इसके अलावा भूमि गत खसरा नंबर 130 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी संवत 212 में रामानन्द पुत्र ईशर उपकृषक दर्ज रिकार्ड था। उक्त रूघा व रामानंद के हकपूर्वाधिकारी गिरधारी था जो चेता का पुत्र था। गत खसरा नंबर 219 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि में 1/4 भाग व खसरा नंबर 220 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि में हिस्सा 1/8 भाग को रूघा व ईशर दोनों शामलाती में काश्त करते थे जो ठिकाणा के समय से ही गिरधारी के पुत्रों की खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है लेकिन राजस्व विभाग ने उक्त भूमि को गिरधारी के एक ही पुत्र रूघा के नाम खातेदारी दर्ज करदी जबकि रूघा व ईशर दोनों भाई बराबर–बराबर काश्त करते थे व गत खसरा नंबर 130 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि को ईशर का पुत्र रामानंद, रामदत्त, मनभर छोटेलाल काश्त करते थे चूंकि रामानंद परिवार में बड़ा व कर्ता खानदान होने से उक्त भूमि उसी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जबकि ईशर के चारों पुत्र उक्त भूमि को बराबर–बराबर काश्त करते थे जिसमें से मनभर ने तो इस खसरा नंबर में से अपना हिस्सा बेचान भी कर दिया। चूंकि गिरधारी के पुत्रों का जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं हो सका जबकि रूघा व रामानंद की खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। उपरोक्त गत खसरा नंबर 219 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के हाल ख.नं. 203 व गत खसरा नंबर 220 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 208 व 210 तथा गत खसरा नंबर 130 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 687 व गत खसरा नंबर [illegible] के हाल ख.नं. 700 निर्मित किये गये हैं जिसके खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. [illegible] 30 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में 3/8 भाग हिस्से पर गिरधारी के [illegible] काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक [illegible] है जिसमें वो अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज ना होने से उनको भारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हकतलफी व भारी नुकसान है जिनको रूघा के साथ 1/2 भाग व रामानंद के साथ हिस्सा चारों भाईयों का दर्ज होकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त भूमि में रूघा के साथ ईशर व रामानंद के साथ रामदत्त, मनभर व छोटेलाल का नाम दर्ज किया जाकर उनको खातेदार काश्तकार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त आराजियात में वादी अपना 25 बिस्वा अर्थात् 0.32 है. भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज ना होने से प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बेचान की धमकी देते हैं व काश्त करने नहीं देते, बाधा कारित करते हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बेचान कर देते हैं तो वादी को भारी नुकसान होगा व अपने हक हिस्से से वंचित हो जायेगा। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम निहालोठ स्थित खातेदारी काश्तक की भूमि हाल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नंबर 203 रकबा 0.06 है., ख.नं. 210 रकबा 0.06 है., ख.नं. 687 रकबा 0.43 है., ख.नं. 700 रकबा 0.47 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.020 है., ख.नं. 206 रकबा 0.10 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.12 है. में वादी को 0.32 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड को दुरूस्त करवाया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो ग्राम निहालोठ स्थित भूमि 2078 खसरा नंबर 203 रकबा 0.06 है., ख.नं. 210 रकबा 0.06 है., ख.नं. 687 रकबा 0.43 है., ख.नं. 700 रकबा 0.47 है., ख.नं. 206 रकबा 0.10 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.12 है. के किसी भाग या हिस्से को रहन, दान, बेचान निर्माण आदि ना करें व प्रतिवादी सं. 31 को भी पाबंद किया जावे कि वो विवादित भूमि के किसी हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण ना करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1, 18, 20 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद ने वादवर्णित भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा चाही है जिसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर वादी का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है जिसकी बाबत किसी को कोई आपत्ति नहीं है गिरधारी के पुत्रों ईशर व रूघा के वारिशानों रामानंद, रामदत्त, मनभरद्व छोटेलाल, हरदयाल व नानग, मंगतु के वारिशानों की गांव निहालोठ व जयसिंहपुरा में हिस्सेदारी है। लेकिन ईशर के वारिशानों का निहालोठ की भूमि में ना नहीं है जो दर्ज किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादीगण सं. 2 से 17, 19 व 21 से 32 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 200, खाता सं. 131 ग्राम निहालोठ, नक्शा ... न क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2012, संवत् 2019–22, संवत् 2031–34, संवत् 202.0, जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2023 ग्राम निहालोठ पेश की ... पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय

बहस विद्वान अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई। ... अवलोकन एवं मनन किया गया। वाद दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पत्र की खण्ड सं. 1 में वर्णित चेता की वंशावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी संदेह से परे साबित होना पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम निहालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 203, 210, 687, 700, 206 कुल किता 5 कुल रकबा 1.12 है. में से वादी को 0.32 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 30 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06-09-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:49 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी — सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
जीसीएमएस नं.— 2022 / 144

मुकदमा नम्बर — 59 / 2022

छोटेलाल बनाम अमीलाल आदि

वादी की ओर से **श्री नरेश भरद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादी सं. 1, 18, 20, 23, 27, स्वयं की उपस्थिती में, तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 06-09-22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम निहालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 203, 210, 687, 700, 206 कुल किता 5 कुल रकबा 1.12 है. में से वादी को 0.32 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 30 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 06-09-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:49 IST
Reason: SelfAttested